भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †4389

उत्तर देने की तारीख- 19/03/2026

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र

†4389. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और उनके नाम और स्थान क्या हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक उत्कृष्टता केन्द्र के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने असम में उत्कृष्टता केन्द्रों के कार्य निष्पादन और परिणामों की समीक्षा की है और यदि हां, तो समीक्षा प्राधिकारी, प्राप्त निष्कर्षों और प्रतिक्रिया में किए गए उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उत्कृष्टता केन्द्रों के कार्यकरण को सुदृढ़ करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो प्रस्तावित उपायों, अनंतिम समय-सीमा और आवंटित किए जाने वाले बजट सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में स्थित किसी भी संगठन को पिछले पांच वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर शून्य।

(ग) पिछले तीन वर्षों से असम में कोई भी उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) परियोजना नहीं चल रही है। हालांकि, राष्ट्रीय औषध विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), गुवाहाटी ने 2022 में "पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी में प्रयुक्त पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों और पारंपरिक औषधियों के ज्ञान का अध्ययन और पहुंच तथा महत्वपूर्ण रूप से वैज्ञानिक सत्यापन" शीर्षक वाली परियोजना के लिए अंतिम रिपोर्ट उसे 01.03.2019 को तत्कालीन सचिव, जनजातीय

कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में सौंपी गई थी। संगठन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा की गई और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। स्वीकृत रिपोर्ट की एक प्रति आयुष मंत्रालय के साथ भी साझा की गई और सचिव, आयुष ने भी मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। रिपोर्ट को असम और मेघालय के जनजातीय कल्याण विभागों (टीडब्ल्यूडी) को भी भेजा गया था।

(घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1. जनजातीय कार्य मंत्रालय उत्कृष्टता केंद्रों की प्रगति की निगरानी करने, उनकी परियोजनाओं में आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और आवश्यक निदेश प्रदान करने के लिए नियमित रूप से उनके साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित उत्कृष्टता केंद्रों के साथ बैठकें भी की हैं, ताकि समय पर परियोजना पूरी हो सके और धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

3. इसके अलावा, प्रस्तावित संशोधित दिशा-निर्देश के तहत मंत्रालय ने उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के कार्यक्षेत्र को 28 से अधिक विषयगत क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है। बहुस्तरीय मूल्यांकन और अनुमोदन तंत्र के माध्यम से सीओई कार्यक्रम की शासन संरचना को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इसमें कार्यक्रम स्क्रीनिंग समिति (पीएससी) द्वारा प्रस्तावों की जांच और कार्यक्रम मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सीओई की हर पांच साल में अनिवार्य समीक्षा का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, पीएससी के माध्यम से प्रस्ताव मूल्यांकन प्रक्रिया को, संबंधित राज्य टीआरआई के साथ परामर्श के साथ, शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा प्रस्तावित गतिविधियां जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के तहत पहले से किए जा रहे कार्यों की नकल न करें। उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) को बजट आवंटन का निर्णय पीएसी द्वारा विचार किए गए और अनुमोदित प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है, जिसमें सीओई द्वारा प्रस्तावित गतिविधि (गतिविधियों) को ध्यान में रखा जाता है।
